

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 4/86-87/सिरोही 98

यह प्रमाणित किया जाता है कि
लक्ष्मीपत सिंधानिया स्कूल सरोही
जेकेपुरम तह-पिण्डवाड़ा जिला सिरोही का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक माह दिसम्बर सन् एक हजार नौ सौ इकरा गप्पे को
सिरोही में दिया गया ।



10/12/91
रजिस्ट्रार संस्थाएं सिरोही

PRINCIPAL
LAKSHMIPAT SINGHANIA SCHOOL
JAY KAY PURAM, SIROHI (RAJ.)